सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 07, सोमवार, *शाके* 1945-फरवरी 26, 2024 *Phalguna 07 Monday , Saka 1945- February 26 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 15, 2024

जी.एस.आर.173 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सरकारी मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकारी मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान सरकारी मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष ग्रुप-झ के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 3क, 3ख, 3ग और उनकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

3क.	मुख्य ड्राईवर	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	वरिष्ठ ड्राईवर ग्रेड-I	स्तंभ संख्यांक 4 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-	-	-
3ख.	वरिष्ठ ड्राईवर ग्रेड-I	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	वरिष्ठ ड्राईवर	स्तंभ संख्यांक 4 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-	-	-
3ग.	वरिष्ठ ड्राईवर	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	ड्राईवर	स्तंभ संख्यांक 4 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-	-	-

"

[संख्या एफ.7(1)डीओपी/ए-II/2023]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 15, 2024

G.S.R.173 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Government Presses Subordinate Service (First Amendment) Rules 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973, after the existing serial number 3 and entries thereto and before the existing serial number 4 and entries thereto, under head GROUP-I, the following new serial number 3A, 3B, 3C and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

3A.	Chief Driver	100% by promotion	Senior Driver Grade - I	9 years experience on the post mentioned in column number 4	-	-	-
3B.	Senior Driver Grade - I	100% by promotion	Senior Driver	9 years experience on the post mentioned in column number 4	-	-	-
3C.	Senior Driver	100% by promotion	Driver	9 years experience on the post mentioned in column number 4	-	-	-

"

[No.F.7(1)DOP/A-II/2023]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.